



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से जिला कलेक्टरों की एक बैठक ली। जिसमें बजट घोषणा के विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।

‘दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर शीघ्र सुधारें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कलेक्टरों को वी.सी. से भू आवंटन प्रकरण 31 दिसम्बर तक निपटाने के निर्देश दिये

जयपुर, 21 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क निर्माण और मरम्मत के कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन किया जाए। साथ ही, सभी जिलों में परिवहन विभाग के उड़नदस्ते, अनफिट एवं बिना परमिट के वाहनों तथा ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसके अलावा, यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जागरूकता अभियान भी चलाया जाए।

मुख्यमंत्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी.सी.) के माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पॉट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैंड, जीएसएस एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट एवं मैटेरियल रिक्वीरी फैसिलिटी सेंटर, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत, ब्लॉक कार्यालय

वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सभी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि राइजिंग राजस्थान समिट में हुए एम.ओ.यू. को धरातल पर उतारने के लिये संबंधित विभागों के साथ समन्वय बना कर काम करें।

एवं जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आवंटन की भी समीक्षा की। शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही की जाए। इसके तहत, विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अर्पणा अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित, विभिन्न विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव उपस्थित रहे एवं समस्त जिला कलेक्टरों वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 दिसम्बर तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण तथा चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

‘24 दिसम्बर को देश भर में...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आगे वाले कार्यक्रमों बाबा साहेब की बड़ी तस्वीर लिये हुये होंगे तथा अन्य कार्यक्रमों के हाथों में बड़ी-बड़ी तस्वीरों होंगी, जिन पर पाटी की माँग अंकित होंगी। उन्होंने कहा, "26-27 दिसम्बर को, हम 'एक्सटेन्डेड सी.डब्ल्यू.सी. सेशन तथा बेलागवी में एक विशाल रैली आयोजित करेंगे, जहाँ हम डॉ. अम्बेडकर तथा उनके आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे।"

इस सम्बंध में, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को जारी किये गये एक सर्कुलर में, वेणुगोपाल ने लिखा, "इन

सभी कार्यों का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर की विरासत की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दृढ़तापूर्वक दोहराना है, जो राष्ट्र के न्याय एवं समानता के प्रकाश स्तम्भ हैं। आपसे अनुरोध है कि इन सभी गतिविधियों का प्रभावी तरीके से समन्वय करें तथा पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अनुरोध है कि वे आयोजित मार्च की विस्तृत रिपोर्ट पेश करें।" उल्लेखनीय है कि संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिये राज्यसभा में हुई

एक बहस में जवाब देते हुये, शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर प्रहार करते हुये कहा था, "अम्बेडकर अम्बेडकर कहने का फैशन हो गया है। अगर उन्होंने इतनी बार भगवान का नाम लिया होता, तो उन्हें स्वर्ग में जाह मिल गई होती।" कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, बाबासाहेब अम्बेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर, शाह के खिलाफ पहले ही विरोध जता चुकी है। इस बयान के संबंध में, विपक्ष ने संसद से सड़क तक जबरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन, बाद में अमित शाह ने कहा था कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

‘वाहनों के अवधि पार...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत, वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि बीतने के बाद नवीनीकरण करने पर प्रतिदिन पचास रुपए की अतिरिक्त फीस वसूलना का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान मोटर अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है, क्योंकि अधिनियम में फेनल्टी का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सरकार अतिरिक्त फीस के नाम पर फेनल्टी वसूल रही है।

अधिनियम के तहत शुल्क लगाया जा सकता है, लेकिन फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण में देरी के आधार पर अतिरिक्त फीस नहीं वसूली जा सकती। ऐसे में इस प्रावधान को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए

केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी व राज्य सरकार की ओर से एएसएस नरुका ने कहा कि अधिनियम के तहत उन्हें फिटनेस, लाइसेंस और परमिट आदि के लिए शुल्क लगाने की शक्ति है।

अवधि पार परमिट के नवीनीकरण के लिए वसूला गया अतिरिक्त शुल्क, शुल्क संरचना का ही हिस्सा है। अधिनियम के तहत पूरी तरह से फिट वाहन ही रोड पर चल सकते हैं। ऐसे में सरकार को अतिरिक्त लेवी लगाने का अधिकार है। दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अदालत ने अवधि पार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त फीस वसूलने को अवैध माना है।

ई.डी. को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मिली

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर मुसौबत में फंसने वाले हैं। उपराज्यपाल की संसद ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई है।

5 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। अब जाकर

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी।

उपराज्यपाल ने ईडी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की हरी झंडी दे दी है। केजरीवाल पर यह एक्शन अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लिया गया है।

इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिंसोदिया द्वारा दायर याचिका पर

‘भाजपा का बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं’

सचिन पायलट ने बहरोड़ के पास किसान सम्मेलन में भंवर जितेन्द्र व जूली के साथ भाग लिया

बहरोड़, 21 दिसम्बर। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि गृहमंत्री ने अभी जो संसद भवन में भाषण दिया था, उनके पेट की बात मुंह पर आ गई। पायलट ने जनता से कहा कि बनाने वाले भी आप हो, गिराने वाले भी आप हो।

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ल की ढाणी में किसान सम्मेलन में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी विधायक जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी विधायक छाती पीट रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है। चार-पांच घंटे बिजली आती है और बात करते हैं चार लाख रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, 10 साल से आप देश में सरकार चला रहे हो, 12 महीने आपको हो गए। कितने बच्चों को नौकरी दे पाए हैं। आप पुछो, कभी फलों मस्जिद को खोदते हैं, उससे मन्दिर निकल जाएगा। भाजपा दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, मंदिर- मस्जिद, हिंदू- मुसलमान, हिंदुस्तान- पाकिस्तान, यहाँ तक सीमित है। बिजली, पानी, शिक्षा,

बहरोड़ के गांव पहाड़ी में शुक्ला की ढाणी में स्वर्गीय बीरबल बोहरा व स्वर्गीय छिमली देवी की मूर्ति का अनावरण हुआ। साथ ही स्कूल में बरामदा का उद्घाटन समारोह भी हुआ।

चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। पायलट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मंच से कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। आज राजस्थान में विपक्ष में है हम लोग। मोदी, अमित शाह दिल्ली से और यहां भजनलाल जी, वसुंधरा जी, सब कोई ताकत लगा रहे हैं। इन लोगों को अगर खिसकाना है 4 साल बाद, तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। वे देखते हैं, जब नेता ही भागदौड़ नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें। आप और हम मिलकर पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, हिम्मत बंधाएं।

शनिवार को बहरोड़ के पहाड़ी, शुक्ला की ढाणी में स्वर्गीय बीरबल बोहरा एवं स्वर्गीय छिमली देवी की मूर्ति के अनावरण समारोह तथा स्कूल

में कमरा -बरामदा उद्घाटन एवं किसान सम्मेलन में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष टीकराम जूली ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि माता-पिता की प्रतिमा लगाना बच्चों का सौभाग्य है, आज के युग में जहां भाई-भाई का दुश्मन हो रहा है, ऐसे समय में ऐसे नैतिक कार्य समाज को नया संदेश देने और संस्कारों को जिंदा रखने तथा आने वाले पीढ़ियों को सिखाने का काम करेंगे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जनसमूह को संबोधित करते हुए बोले, उन्होंने रातोंरात तीन काले कानून बनाकर देश के किसानों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया लेकिन अन्नदाता की आवाज और अपने अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई ने देश की राजधानी दिल्ली को छावनी में

तब्दील कर दिया और सरकार को चुटने के बल ला दिया।

उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीब और काशतकारों को बांटने के लिए बनी है, इस सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। देश के पीएम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आज किसान को खाद -बीज नहीं मिल रहा, यह सरकार किसान का खून पीना चाहती है। उन्होंने स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए कहा कि किसानों की लड़ाई में उनकी भूमिका को सदैव याद किया जाएगा।

इस अवसर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक ललित यादव, कांति प्रसाद मीणा, मांगीलाल मीणा, अजीत यादव, संजय यादव, आर्यन जुबेर खान, इमरान खान, रामफल गुर्जर, संजोय बरोट, हरिशंकर रावत, विश्राम गुर्जर, बलराम यादव, गफूर खान, रोहिताश चौधरी सहित, गणमान्य लोग उपस्थित थे।



पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बहरोड़ के गांव पहाड़ी की शुक्ल की ढाणी में किसान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए, मंदिर- मस्जिद, हिंदू- मुसलमान, हिंदुस्तान- पाकिस्तान की बात करती है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है।

संसद में धक्का-मुक्की पर 7 सदस्यीय एस.आई.टी. का गठन

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। संसद में हुए धक्का-मुक्की मामले की जांच अब गति पकड़ने लगी है। इस मामले को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसकी जांच अब क्राइम ब्रांच की चाणक्यपुरी स्थित आई.एस.सी. यूनिट करेगी।

यह मामला संसद परिसर में सांसदों के बीच धक्का-मुक्की का है जिसमें बीजेपी के दो सांसद, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपुरोहा शामिल हुए थे। दोनों का इलाज आरएमएल अस्पताल में चल रहा है।

ऐसे में मामले की संजीवनी और गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार रात क्राइम ब्रांच की एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है।

इस प्रकरण में भाजपा के दो सांसद घायल हो गये थे। मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। क्राइम ब्रांच ने जांच के लिये 7 सदस्यों की एस.आई.टी. का गठन किया।

अमूमन देखा गया है कि पॉलिटेक्निक हाई प्रोफाइल मामले हमेशा दिल्ली पुलिस की आई.एस.सी. क्राइम ब्रांच यूनिट को ही जांच के लिए ट्रांसफर किया जाता है। सूत्रों के

अनुसार, पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन को सीसीटीवी फुटेज के लिए लेटर लिखा जाएगा, क्योंकि, घटना से जुड़ी जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज काफ़ी मायने रखती है।

दिल्ली-एन.सी.आर. में हल्की वर्षा का अनुमान

दिल्ली-एन.सी.आर. में हल्की वर्षा का अनुमान

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस के नीचे पहुंच रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगले 48 घंटों में दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदलने वाला है।

हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड में बर्फ गिरने से सर्दी बढ़ी।

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। अभी दिल्ली-एनसीआर में सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट देखी जा रही है। दिन में धूप रहने के कारण लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलती है। वहीं, दो दिन बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड भी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को औसत न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5, ब्रैण्डेड पर 12 प्रतिशत जी.एस.टी. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जी.एस.टी. काउन्सिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दर कम की

जैसलमेर, 21 दिसम्बर (नि.सं.)। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस से रूबरू होकर बताया कि जी.एस.टी. परिषद की 55 वीं बैठक में तय किया गया है कि अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, लेबल वाले और ब्रैंडेड पॉपकॉर्न पर 12 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जबकि कैरमल युक्त पॉपकॉर्न को 18 प्रतिशत के टैक्स स्लैब में रखा गया है।

उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. परिषद ने 1904 के तहत वर्गीकृत फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफ.आर.के.) पर जी.एस.टी. दर को घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की। जी.एस.टी. परिषद ने जीन थैरेपी पर भी जीएसटी से पूरी छूट देने की सिफारिश की। मोटर वाहन दुर्घटना निधि के लिए तीसरे पक्ष के

काउन्सिल ने जीन थैरेपी पर जी.एस.टी. से पूरी छूट देने की सिफारिश की। वाउचर के लेन-देन पर जी.एस.टी. नहीं लगाने की सिफारिश की, क्योंकि यह न तो माल की आपूर्ति है और न सेवाओं की।

मोटर वाहन प्रीमियम से सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा योगदान पर जी.एस.टी. से छूट की सिफारिश की। जी.एस.टी. परिषद ने वाउचर के लेन-देन पर जी.एस.टी. न लगाने की सिफारिश की है, क्योंकि वह न तो माल की आपूर्ति है और न ही सेवाओं की आपूर्ति। वाउचर से संबंधित प्रावधानों को भी सरल बनाया जा रहा है। जी.एस.टी. परिषद ने स्पष्ट किया कि ऋण शर्तों का पालन न करने पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए और वसूले गए ढंटात्मक

शुल्क पर कोई जी.एस.टी. देय नहीं है। जी.एस.टी. परिषद ने केवल जर्माना राशि से संबंधित पारित आदेश के संबंध में अपील विधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा राशि के भुगतान में कमी की सिफारिश की, उन्होंने बताया कि जी.एस.टी. दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) ने अपनी रिपोर्ट पेश करने को स्थापित कर दिया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी ने बताया कि रिपोर्ट में 148 वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव की सिफारिश की गई है। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री (जो वित्त मंत्री का जिम्मा भी संभालते हैं) के साथ-साथ, कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। वित्त मंत्री ने बताया कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगी। जी.एस.टी. कार्डसिल ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की घोषणा की है, जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दी गई है। एटामिफ ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है।